नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या के प्रबन्ध परिषद की 183 वीं बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 04–01–2019

स्थान : सभाकक्ष
उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद,
किसान मण्डी भवन, अष्टमतल,
गोमतीनगर , लखनऊ ।

समय : अपरान्ह 2.00 बजे ।

उपस्थिति :

1– प्रो0 जीत सिंह सन्धू , कुलपति	– अध्यक्ष
2– श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, माननीय सदस्य विधान परिषद	– सदस्य
3– श्री बी0राम शास्त्री , सचिव ,प्रतिनिधि प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0शासन ।	– सदस्य
4– श्री कृष्ण चन्द्र राय शर्मा ,उप सचिव उच्च शिक्षा प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0शासन ।	– सदस्य
5– डा0 ए0पी0 श्रीवास्तव, ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग प्रतिनिधि निदेशक कृषि उ0प्र0	– सदस्य
6– डा0 ए0सी0 सचान , ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग प्रतिनिधि, निदेशक पशुपालन उ0प्र0	– सदस्य
7–डा0 ए0डी0पाठक, निदेशक ,आई0आई0एस0आर0 ,प्रतिनिधि आई0सी0ए0आर0	– सदस्य
8–डा0 उमाशंकर सिंह, कृषि वैज्ञानिक	– सदस्य
9– श्री छेदी सिंह , प्रगतिशील कृषक	– सदस्य
10– श्री शिवजीत यादव पशु प्रजनक ,	– सदस्य
11– श्रीमती सुचिता तिवारी, प्राख्यात उद्योगपति	– सदस्या
12– श्री लाल प्रताप सिंह , वित्त नियंत्रक	– सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध परिषद के समस्त माननीय सदस्यों को नववर्ष 2019 के मंगलमय होने की शुभकामनायें दी गयी तथा आशा व्यक्त की गयी कि माननीय सदस्यों का सहयोग विश्वविद्यालय की प्रगति मे पूर्ववर्षो की भॉति आगे भी मिलता रहेगा , तदुप्रान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत निर्णय लिये गये :–

प्रबन्ध परिषद की गत 182वीं बैठक दिनांक 27–11–2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी।

प्रस्ताव सं0183: 2 **प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना ।**

प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्य अवगत हुए एवं कुछ बिन्दुओं पर निम्नवत निर्णय लिये गये :–

प्रबन्ध परिषद की 182वीं बैठक दिनांक 27–11–2018 में प्रस्तुत प्रस्ताव

प्रस्ताव सं0179:4 **विश्वविद्यालय कार्मिकों के भुगतान को पेरोल, साफटवेयर के माध्यम से कम्प्यूटराइज्ड कराये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

वित्त नियंत्रक /सचिव वित्त उपसमिति द्वारा अवगत कराया गया कि पेरोल साफटवेयर के माध्यम से कम्प्यूटराइज्ड संबंधी कार्य अपरिहार्य कारणोवश अभी पूर्ण नही हो पाया है , ऐसी स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय कार्मिकों को माह दिसम्बर 2018 के वेतन का भुगतान पूर्व की भॉति भुगतान किये जाने की संस्तुति प्रदान करते हुए अपेक्षा की गयी कि माह जनवरी 2019 के वेतन का भुगतान पेरोल साफटवेयर के माध्यम से किये जाने का प्रयास किया जाय।

प्रबन्ध परिषद द्वारा वित्त उपसमिति की उर्पयुक्त संस्तुति कों सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं0179:11 **विश्वविद्यालय के उद्यान एव वानिकी महाविद्यालय में प्रबन्ध परिषद द्वारा सृजित रिक्त पद पर प्राध्यापक/ सह प्राध्यापक /सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान करनें के सम्बन्ध में विचार एव निर्णय ।**

प्रस्ताव सं0 179:12 **विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के पदों को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव ।**

प्रस्ताव सं0 179:13 **पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में शैक्षिक सम्वर्ग में स्वीकृत 12 पदों को भरे जाने हेतु शैक्षिक अर्हता निर्धारित किए जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय ।**

प्रस्ताव सं0 179:15 **विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय , उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, मात्स्यिकीय महाविद्यालय, गृह विज्ञान महाविद्यालय, कृषि अभिंत्रण एवं प्रौद्यौगिकी महाविद्यालय , पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के पदों को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव।**

प्रस्ताव स0 179:22 **नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मात्स्यिकी महाविद्यालय के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक(एक पद) एव सह प्राध्यापक (एक पद) के पदो को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव ।**

उक्त प्रस्तावों पर अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि नियुक्ति के संबंध में शासन से अनुमति अभी तक प्राप्त नही हुयी है । वित्त उपसमिति द्वारा सुझाव दिया गया कि शासन की अनुमति हेतु पूर्ण विवरण सहित संदर्भित रिक्त पदो को भरने की अनुमति हेतु पुनः अनुरोध किया जाय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा वित्त उपसमिति की उर्पयुक्त संस्तुति को सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि संदर्भित पदों को विज्ञापित करते हुये अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

प्रस्ताव सं0179:18 विश्वविद्यालय कर्मियों के माह अगस्त 2011 से जुलाई 2012 के मध्य जी0पी0एफ0 कटौती की धनराशि कोषागार में जमा किये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत ।

वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों को वित्त नियंत्रक /सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि माह अगस्त 2011 से जुलाई 2012 के मध्य जी0पी0एफ0 कटौती धनराशि कोषागार में जमा करने हेतु शासन से अतिरिक्त अनुदान की मॉग की गयी है ।

प्रबन्ध परिषद उर्पयुक्त से अवगत हुयी ।

प्रस्ताव सं0 179:20 विश्वविद्यालय के अधीन संचालित अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओ में कुछ पदों अथवा परियोजना के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप कार्मिकों का अन्य परियोजनाओ अथवा विभागों में समायोजन समय से न हो पाने की स्थिति में लम्बित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त भुगतान किये जाने संबंधी कार्यवाही प्रकियान्तर्गत है ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा उर्पयुक्त से अवगत होते हुये यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर यथाशीध्र कार्यवाही की जाय ।

प्रस्ताव सं0180: 3 विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों को परिचर, चौकीदार , कुक एवं स्वीपर के नाम से एकीकृत किये जाने हेतु विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

उक्त प्रस्ताव पर कृत कार्यवाही से प्रबन्ध परिषद अवगत हुयी । तथा यथाशीध्र कार्यवाही पूर्ण करके उचित प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में पुर्नविचारार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

प्रस्ताव सं0181:3

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वित्त पोषण से जनपद गाजीपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्र गाजीपुर में नियुक्ति की कार्यवाही प्रकियान्तर्गत है ।

प्रस्ताव सं0 181:6

भारत मौसम विज्ञान विभाग , भारत सरकार द्वारा फसल अनुसंधान केन्द्र, बहराइच पर मौसम विज्ञान आब्जरवेटरी स्थापित किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के मध्य एम0ओ0यू0 हो गया है तथा अग्रिम कार्यवाही प्रकियान्तर्गत है । प्रबन्ध परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की बेबसाइट पर प्रतिदिन मौसम की जानकारी उपलब्ध करायी जाय जिससे कि पूर्वान्चल के किसान लाभान्वित हो सके।

प्रस्ताव सं0 181:9

पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के अन्तर्गत वेटनरी फार्मेसी एवं लाइवस्टाक एक्सटेंशन में डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया गया कि डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ किये जाने की अनुमति हेतु अपर मुख्यसचिव श्री राज्यपाल / माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध किया गया है , अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त उर्पयुक्त डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ कर दिये जायेगे ।

प्रस्ताव स0 182:3 मान0 प्रबन्ध परिषद की 171वीं बैठक दिनांक 03—03—2016 के मद सं0 171:1 द्वारा अतिथि शिक्षकों (गेस्ट फैकल्टी) का पुनरीक्षित दर केटेगरी प्रथम को रू0 30000/'—(रू0 तीस हजार) मात्र एवं केटेगरी द्वितीय को रू0 35000/'—(रू0 पैतीस हजार) मात्र किया गया था,, उक्त के स्थान पर पुनरीक्षित दर केटेगरी प्रथम को रू0 40000/'—(रू0 चालीस हजार) मात्र एवं केटेगरी द्वितीय को रू0 50000/'—(रू0 पच्चास हजार) मात्र किये जाने हेतु विचार एवं निर्णय।

उक्त प्रस्ताव पर कृत कार्यवाही से प्रबन्ध परिषद अवगत हुयी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि शिक्षकों की नियमित नियुक्ति होने तक उच्च शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त शिक्षकों को नियोजित किये जाने के संबंध में शासनादेश प्राप्त करते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय । यह भी ध्यान रखा जाय कि सेवानिवृत्त शिक्षकों की आयु सीमा 70 वर्ष से अधिक न हो और यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो ।

प्रस्ताव स0 182:4 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वित्त पोषण से विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों के पदनाम को वर्तमान पदनाम के अनुसार संशोधित करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त निम्न पदनामों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की संस्तुति की गयी :—

1— कृषि विज्ञान केन्द्रों में पूर्व में Office Superintendant cum Accountant के पदनाम से नियुक्त कार्मिको के पदनाम कों Office Superintendant cum Accountant के रूप में रहने दिया जाय ,इसमें कोई संशोधन न किया जाय तथा आगे की जाने वालीं नियुक्ति Assistant-ICAR के पदनाम से ही की जाय ।

2— कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु Driver Cum Mechanic के पदनाम को Driver Cum Mechanic ही रहने दिया जाय ,इसमें कोई संशोधन न किया जाय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा वित्त उपसमिति की उर्पयुक्त संस्तुति को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव स0 182:5 नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ,कुमारगंज, फैजाबाद के अन्तर्गत मुख्य परिसर कुमारगंज, में कालेज आफ एग्री—बिजनेस मैनेजमेन्ट में पाठयकम संचालित करने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

कृत कार्यवाही से अवगत होते प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि कालेज आफ एग्री—बिजनेस मैनेजमेन्ट पाठयकम के सफल संचालन हेतु शासन से पदो एवं अनुदान की मॉग की जाय ।

प्रस्ताव स0 182:7 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित Establishment of Model Seed Testing Laboratory" परियोजना को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद कृत कार्यवाही से अवगत हुयी तथा यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि सीड टेस्टिंग हेतु उचित फीस निर्धारित की जाय जिससे कि विश्वविद्यालय की आय में वृद्धि हो सके ।

प्रबन्ध परिषद की 183 वी बैठक दिनांक 04–01–2019 के संबंध में विचार एवं निर्णय

प्रस्ताव सं0 183:3 मान0 प्रबन्ध परिषद की दिनांक 27–11–2018 को आयोजित 182वीं बैठक के मद संख्या 182:6 में लिये गये निर्णयानुसार असेस्मेंट सम्बन्धी बन्द लिफाफे खोलने पर विचार एवं निर्णय ।

माननीय उच्च न्यायालय में योजित डा0 विनोद सिंह , एस0एम0एस0(वानिकी) के0वी0के0 चन्दौली की याचिका के आलोक में असेस्मेंट समिति /चयन समिति की संस्तुति से संबंधित लिफाफा माननीय कुलपति/अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद द्वारा माननीय सदस्यों के समक्ष खोलते हुये अवगत कराया गया कि चयन समिति द्वारा डा0 विनोद सिंह को अयोग्य पाया गया है तथा कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत उनकी पदोन्नति के प्रस्ताव को निरस्त किया गया है ।

प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से चयन समिति के निर्णय को अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव सं0 183:4 विश्वविद्यालय में सृजित संयुक्त निदेशक ,बीज एवं प्रक्षेत्र के रिक्त पद पर नियमित चयन हेतु शैक्षिक अर्हता निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में सृजित संयुक्त निदेशक ,बीज एवं प्रक्षेत्र के रिक्त पद पर नियमित चयन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के शैक्षिक अर्हता में B.Sc. and M.sc.(Ag.) के स्थान पर B.Sc./B.Sc(Ag.) and M.sc.(Ag.) किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी । अवशेष अर्हता यथावत रहेगी ।

वित्त उपसमिति की उर्पयुक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुये यह भी निर्णय लिया गया कि शैक्षिक अर्हता मे प्रस्तावित अनुभव को 12 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष कर दिया जाय ।

प्रस्ताव सं0 183:5 अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओं के समस्त मुख्य अन्वेषको को आहरण–वितरण अधिकार प्रदान किये जाने हेतु विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय नें चल रहो अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओं के समस्त मुख्य अन्वेषको को रू0 10000/–(रू0 दस हजार मात्र) की इम्प्रेस्ट (स्थायी अग्रिम) धनराशि स्वीकृत करने एवं मुख्य अन्वेषकों को शोध परियोजनाओ से संबंधित कार्यो के त्वरित निष्पादन हेतु अतिआवश्यक सूक्ष्म व्यय (Petty Expenditure) स्वीकृत किये जाने के लिए अधिकृत किये जानें की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उर्पयुक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुए यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय मे संचालित अन्य शोध परियोजनाओं के मुख्य अन्वेषको को भी उक्त सुविधा प्रदान की जाय ।

प्रस्ताव सं0 183:6 विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के आवासीय भवनों से निकलने वाले कूडें को ट्रैक्टर ट्राली से उठवाने पर हो रहे व्यय की प्रतिपूर्ति परिसर वासियों से किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसनिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के आवासीय भवनों से निकलने वाले कूडें को ट्रैक्टर ट्राली से उठवाने पर हो रहे व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु माह दिसम्बर 2018 से रू0 50/–(रू0 पच्चास मात्र) प्रतिमाह की कटौती परिसर वासियों से किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उर्पयुक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मतिः से अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं0 183:7 विश्वविद्यालय परिसर की चहारदीवारी से बाहर स्थित समस्त प्रक्षेत्रों पर मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 से सीधे विद्युत कनेक्शन लिये जाने एवं उक्त प्रक्षेत्रों पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित विद्युत वितरण इन्फास्ट्रक्चर मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय परिसर की चहारदीवारी से बाहर स्थित समस्त प्रक्षेत्रों पर मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 से सीधे विद्युत कनेक्शन लिये जाने एवं उक्त प्रक्षेत्रों पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित विद्युत वितरण इन्फास्ट्रक्चर मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 को हस्तान्तरित किये जाने पर सम्यक विचारोपरान्त सुझाव दिया गया कि पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित करते हुए सहमति प्राप्त कर ली जाय ।

वित्त उपसमिति की उर्पयुक्त संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुये यह निर्णय लिया गया कि मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 से इस प्रतिबन्ध के साथ अनुबन्ध कर लिया जाय कि विद्युत सप्लाई सामान्य दरों पर उपलब्ध करायी जायेगी ।

प्रस्ताव सं0 183:8 विश्वविद्यालय परिसर आवासीय भवनों हेतु मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 से एक अलग सिंगल प्वाइन्ट विद्युत कनेक्शन लिये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय परिसर के आवासीय भवनों हेतु मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 से एक अलग से सिंगल प्वाइन्ट विद्युत कनेक्शन लिये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उर्पयुक्त संस्तुति पर प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुये निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में आवासित कार्मिकों को विद्युत आपूर्ति घरेलू दरो पर की जाए ।

प्रस्ताव सं0 183:9 महामाया कृषि अभियंत्रण एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय , अम्बेडकरनगर में एम0टेक0 एवं पी0एच0डी0 (प्रोसेस एवं फूड इंजीनियरिंग , इरीगेशन एण्ड ड्रेनेज इन्जीनियरिंग एवं फार्म मशीनरी एण्ड पावर इंजीनियरिंग) के पाठ्यकम प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से महामाया कृषि अभियंत्रण एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय , अम्बेडकरनगर में एम0टेक0 एवं पी0एच0डी0 (प्रोसेस एवं फूड इंजीनियरिंग , इरीगेशन एण्ड ड्रेनेज इन्जीनियरिंग एवं फार्म मशीनरी एण्ड पावर इंजीनियरिंग) के पाठ्यकम प्रारम्भ किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

प्रस्ताव सं0 183:10 उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय ,कुमारगंज, अयोध्या में पी0एच0डी0, एग्रोफारेस्ट्री के पाठयकम पुनः प्रारम्भ किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय ,कुमारगंज, अयोध्या में पी0एच0डी0, एग्रोफारेस्ट्री के पाठयकम पुनः प्रारम्भ किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

प्रस्ताव सं0 183:11 मात्स्यिकी महाविद्यालय, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय में एम0एफ0एस0सी0(एक्वाकल्चर एवं फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेन्ट) के पाठयकम को प्रारम्भ किये जाने पर विचार विमर्श एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से मात्स्यिकी महाविद्यालय, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय में एम0एफ0एस0सी0(एक्वाकल्चर एवं फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेन्ट) का पाठयकम प्रारम्भ किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

प्रस्ताव सं0 183:12 गृह विद्यान महाविद्यालय में गृह विज्ञान –"मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन" ," ,खाद्य विज्ञान एवं पोषण " एवं "मानव संसाधन प्रबन्धन " विषयो में पी0एच0डी0, कार्यकम प्रारम्भ करने हेतु विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से गृह विद्यान महाविद्यालय में गृह विज्ञान –"मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन" ,"खाद्य विज्ञान एवं पोषण " एवं "मानव संसाधन प्रबन्धन " विषयो में पी0एच0डी0, कार्यकम प्रारम्भ किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

प्रस्तावसं0183:13 डा0 सोनु जायसवाल, सह प्राध्यापक , वेटनरी क्लीनिकल काम्पलेक्स के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति का परिणाम धोषित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

असेस्मेंट समिति/चयन समिति की संस्तुति से संबंधित लिफाफा माननीय कुलपति /अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद द्वारा माननीय सदस्यों के समक्ष खोलते हुये अवगत कराया गया कि चयन समिति द्वारा डा0 सोनू जायसवाल, सह प्राध्यापक ,वेटनरी क्लीनिकल काम्पलेक्स को अयोग्य पाया गया है तथा कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत उनकी पदोन्नति के प्रस्ताव को निरस्त किया गया है ।

प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से चयन समिति के निर्णय को अनुमोदित किया गया।

अन्य निर्णय :–

1– सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में प्राप्त शासनादेशो के अनुसार मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता दिये जाने का निर्णय लिया गया ।

2– प्रबन्ध परिषद के सम्मानित सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के अधीनस्थ समस्त कृषि विज्ञान केन्द्रों का भ्रमण कराये जाने की व्यवस्था किये जाने हेतु माननीय अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद से अनुरोध किया गया जिस पर माननीय अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद द्वारा भ्रमण कराने का आश्वासन दिया गया ।

3– प्रबन्ध परिषद के सम्मानित सदस्यों द्वारा पूर्वान्चल में गन्ने की खेती के विकास के दृष्टिगत वालन्टियर सेन्टर की स्थापना फसल अनुसंधान केन्द्र मसोधा में निदेशक ,आई0आई0एस0आर0,लखनऊ के सहयोग से किये जाने की अपेक्षा की गयी जिस पर निदेशक द्वारा अपना पूर्ण सहयोग दिये जाने का आश्वासन दिया गया ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।

5|1|2019

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

(जीत सिंह सन्धू)
कुलपति/अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या ।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/प्र0परि0–183वी बैठक/लेखा/2019/1392 दिनांक 05-01–2019

प्रतिलिपि –माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

5/1

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या के प्रबन्ध परिषद [illegible]

बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 07–02–2019

स्थान : सभाकक्ष
उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद,
किसान मण्डी भवन, अष्टमतल,
गोमतीनगर , लखनऊ ।

समय : अपरान्ह 2.00 बजे ।

उपस्थिति :

1– प्रो0 जीत सिंह सन्धू , कुलपति	– अध्यक्ष
2– श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, माननीय सदस्य विधान परिषद	– सदस्य
3– डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी , माननीय सदस्य विधान सभा	– सदस्य
4– श्री बाबा गोरखनाथ , माननीय सदस्य विधान सभा	– सदस्य
5– श्री बी0राम शास्त्री , सचिव ,प्रतिनिधि प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0शासन ।	– सदस्य
6– श्री कृष्ण चन्द्र राय शर्मा ,उप सचिव उच्च शिक्षा प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0शासन ।	– सदस्य
7– श्री नीरज श्रीवास्तव, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन अयोध्या मण्डल अयोध्या प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त विभाग उ0प्र0शासन	– सदस्य
8– डा0 नरेन्द्र प्रताप मल्ल वरिष्ठ शोध अधिकारी प्रतिनिधि निदेशक कृषि उ0प्र0	– सदस्य
9– डा0 अविनाश चन्द्र सचान , संयुक्त निदेशक नियोजन प्रतिनिधि, निदेशक पशुपालन उ0प्र0	– सदस्य
10–डा0 ए0डी0पाठक, निदेशक ,आई0आई0एस0आर0 ,प्रतिनिधि आई0सी0ए0आर0	– सदस्य
11–डा0 उमाशंकर सिंह, कृषि वैज्ञानिक	– सदस्य
12– श्री छेदी सिंह , प्रगतिशील कृषक	– सदस्य
13– श्री शिवजीत यादव पशु प्रजनक ,	– सदस्य
14– श्रीमती सुचिता तिवारी, प्राख्यात उद्योगपति	– सदस्या
15– श्री लाल प्रताप सिंह , वित्त नियंत्रक	– सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय द्वारा माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की प्रगति से अवगत कराया गया , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत निर्णय लिये गये :–

प्रस्ताव सं0 184:1 **प्रबन्ध परिषद की गत 183वीं बैठक दिनांक 04–01–2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।**

प्रबन्ध परिषद की गत 183वीं बैठक दिनांक 04–01–20ˇ9 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी।

प्रस्ताव सं0184: 2 **प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना ।**

प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्य अवगत हुए एवं कुछ बेन्दुओं पर न्म्निवत निर्णय लिये गये :–

प्रस्ताव स0 182:3 **मान0 प्रबन्ध परिषद की 171वीं बैठक दिनांक 03–03–2016 के मद सं0 171:1 द्वारा अतिथि शिक्षकों (गेस्ट फैकल्टी) का पुनरीक्षित दर केटेगरी प्रथम को रू0 30000/'–(रू0 तीस हजार) मात्र एवं केटेगरी द्वितीय को रू0 35000/'–(रू0 पैतीस हजार) मात्र किया गया था,, उक्त के स्थान पर पुनरीक्षित दर केटेगरी प्रथम को रू0 40000/'–(रू0 चालीस हजार) मात्र एवं केटेगरी द्वितीय को रू0 50000/'–(रू0 पच्चास हजार) मात्र किये जाने हेतु विचार एवं निर्णय।**

उक्त प्रस्ताव पर कृत कार्यवाही से प्रबन्ध परिषद अवगत हुयी । प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया गया कि सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(मानव संसाधन विकास मंत्रालय ,भारत सरकार) के पत्रांक F.25-1/2018(PS/MISC.) Dated 28 January 2018 के अनुसार अतिथि शिक्षकों (गेस्ट फैकल्टी) को अधिकतम रू0 50000/– (रू0 पच्चास हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से किये जाने का दिशानिर्देश दिया गया है । प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से उक्तानुसार भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया ।

अन्य निर्णय :– 1– प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के कृषि विज्ञान केन्द्रों के भ्रमण कार्यक्रम के संबंध में

प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा अपेक्षा की गयी कि भ्रमण कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार करके उपलब्ध करायी जाये जिससे भ्रमण के दौरान किन–किन बिन्दुओं एवं गतिविधियों का अवलोकन करना है ,स्पष्ट हो सके ।

2– पूर्वान्चल में गन्ने की खेती के विकास के दृष्टिगत वालन्टियर सेन्टर की स्थापना के संबंध में

निदेशक आई0सी0ए0आर0 लखनऊ(प्रतिनिधि आई0सी0ए0आर0) ने अवगत कराया कि फ़सल अनुसंधान केन्द्र मसौधा में गन्ने की खेती के विकास के दृष्टिगत वालन्टियर सेन्टर की स्थापना किये जाने के सबधं में जल्द ही कार्यवाही की जायेगी ।

प्रस्तावसं0184:3 **विभिन्न न्यायालयों में विश्वविद्यालय के विरूद्व योजित याचिकाओ की पैरवी हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं की फीस में संशोधन किये जाने पर मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा विभिन्न न्यायालयों में विश्वविद्यालय के विरूद्व योजित याचिकाओ की पैरवी हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं की फीस में संशोधन किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अधिवक्ताओं की फीस का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा अपने आन्तरिक श्रोतो से वहन किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी । साथ ही यह सुझाव दिया गया कि यदि शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान से भुगतान किया जाना है तो उस्की अनुमति शासन से प्राप्त की जाय ।

प्रस्ताव के संबंध मे वित्तउपसमिति की उपरोक्त संस्तुति के दृष्टिगत माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अधिवक्ताओं को भुगतान की जाने वाली फीस निर्धारित किये जाने के क्रम में शासन के न्याय विभाग द्वारा स्वीकृत दरों का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में याचिकाओं की त्वरित पैरवी हेतु एक विधिक अधिकारी के पद का गठन किसी रिक्त पद को परिवर्तित करने संबधी प्रस्ताव आगामी बैठक मे विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाय । साथ ही विश्वविद्यालय में योजित याचिकाओं की सूची आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्तावसं0184:4 **नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) आजमगढ के संचालन हेतु शासन के पत्र सं0 2/2015/2136/67–कृ0शि0अ0–14–1500(124)/12 दिनांक 22 जनवरी 2015 द्वारा सृजित शैक्षणिक पदो पर नियुक्ति हेतु किये गये साक्षात्कार पर चयन समिति की संस्तुति के आधार पर परिणाम धोषित किये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय ।**

उक्त प्रस्ताव के संबंध में माननीय कुलपति /अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद द्वारा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) आजमगढ में विभिन्न पदों के संबंध में चयन समिति की संस्तुति संबधी बन्द लिफाफे प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के समक्ष विषय /पदनामवार Agronomy,Agril.Extn.Education ,Plant Pathology, Agril.Engg., Soil Science & Agril.Chemistry , Entomology , Agril.Economics , Genetics & Plant Breeding में प्रत्येक मे 02-Asstt.Prof. व 01-Assoc.Prof. ; Crop/Plant Physiology, Forestry, Microbiology में प्रत्येक मे 01-Asstt.Prof. ; Horticulture मे 01-Asstt.Prof. व 01-Assoc.Prof. तथा Agril.Statistics मे 02-Asstt.Prof. के एक–एक कर खोले गये व चयनसमिति की संस्तुति के अनुसार चयनित /प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी ।

/प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के नामों को नियुक्ति के लिए अनुमोदित किया गया । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति मे अथवा विश्वविद्यालय हित की आवश्यकताओं के दृष्टिगत प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों मे से वरिष्ठताकम में नियुक्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है ।

प्रस्ताव स0184:5 शासनादेश सं0 3/2018/जी-1-102/दस-2018'-226-2008 दिनांक 18 जुलाई 2018 के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में कार्यरत वैज्ञानिकों /कर्मचारियों को अयोध्या जनपद के स्थान पर कुमारगंज, का मकान किराया भत्ता दिये जाने के संबधं में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित कार्यालयों में कार्यरत वैज्ञानिकों /कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता का भुगतान सातवे वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में जारी शासनादेश सं0 3/2018/जी-1-102/दस-2018'-226-2008 दिनाक 18 जुलाई 2018 के अनुसार श्रेणी-स(अवर्गीकृत) के नगरो का मकान किराया भत्ता का भुगतान नियमानुसार किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा प्रबन्ध परिषद की 36वीं बैठक के मद सं0 36:8 के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर स्थित कार्यालयों में कार्यरत वैज्ञानिकों /कर्मचारियों को अयोध्या शहर के मकान किराया भत्ता दिये जाने के निर्णय को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए वित्त उपसमिति की उपरोक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं184:6 उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय ,कुमारगंज , अयोध्या में एम0एस0सी0(फारेस्ट्री) के पाठ्यकम को पुनः प्रारम्भ किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय ,कुमारगंज , अयोध्या में एम0एस0सी0(फारेस्ट्री) के पाठ्यकम को पुनः प्रारम्भ किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

प्रस्तावसं0184:7 नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या के अधीन संचालित मात्स्यिकीय महाविद्यालय ,कुमारगंज, में पठन पाठन के संचालन हेतु प्राध्यापक की शैक्षिक योग्यता निर्धारण के संबंध में विचार एव निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या के अधीन संचालित मात्स्यिकीय महाविद्यालय ,कुमारगंज, में पठन पाठन के संचालन हेतु प्राध्यापक की शैक्षिक योग्यता निर्धारण किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

अन्य निर्णय :–

1– प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों को कुलपति/अध्यक्ष महादेय द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिसर/ मुख्यालय के बाहर स्थित समस्त केन्द्रो पर बायोमैट्रिक मशीन व सी0सी0टी0वी0लगाये जाने की कार्यवाही की जा रही है जिस पर माननीय सदस्यों द्वारा कुलपति जी के इस कार्य की सराहना की गयी ।

2– प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यवाहक प्रभारियें को अन्य केन्द्रों के सीनियर साइंटिस्ट कम हेड की भॉति आहरण वितरण अधिकार दिये जाने क का निर्णय लिया गया ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

(जीत सिंह सन्धू) 8/2/19
कुलपति/अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या ।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/प्र0परि0–184वी बैठक/लेखा/2019/1645 दिनांक 08–02–2019

प्रतिलिपि –माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या के प्रबन्ध परिषद की 185 वीं बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 28–06–2019

स्थान : सभाकक्ष
उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद,
किसान मण्डी भवन, अष्टमतल,
गोमतीनगर , लखनऊ ।

समय : अपरान्ह 3.00 बजे ।

उपस्थिति :

1– प्रो0 जीत सिंह सन्धू , कुलपति – अध्यक्ष

2– श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, माननीय सदस्य विधान परिषद – सदस्य

3– डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी , माननीय सदस्य विधान सभा – सदस्य

4– श्री बाबा गोरखनाथ , माननीय सदस्य विधान सभा – सदस्य

5– श्री राधेश्याम गुप्ता , अनुसचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग ,प्रतिनिधि प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0शासन । – सदस्य

6– श्री कृष्ण चन्द्र राय शर्मा ,उप सचिव उच्च शिक्षा प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0शासन । – सदस्य

7– श्री नीरज श्रीवास्तव, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन अयोध्या मण्डल ,अयोध्या प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त विभाग उ0प्र0शासन – सदस्य

8– डा0 ए0पी0श्रीवास्तव जे0डी0ए0 प्लानिंग प्रतिनिधि निदेशक कृषि उ0प्र0 – सदस्य

9– डा0 अविनाश चन्द्र सचान , संयुक्त निदेशक नियोजन प्रतिनिधि, निदेशक पशुपालन उ0प्र0 – सदस्य

10–डा0 ए0डी0पाठक, निदेशक ,आई0आई0एस0आर0 ,प्रतिनिधि आई0सी0ए0आर0 – सदस्य

11– श्री छेदी सिंह , प्रगतिशील कृषक – सदस्य

12– श्री शिवजीत यादव पशु प्रजनक , – सदस्य

13– श्रीमती सुचिता तिवारी, प्राख्यात उद्योगपति – सदस्या

14– श्रीमती मुन्नी शर्मा, महिला सामाजिक कार्यकर्त्री – सदस्या

15– श्री लाल प्रताप सिंह , वित्त नियंत्रक – सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय द्वारा नवागत माननीय सदस्या श्रीमती मुन्नी शर्मा का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया तथा माननीय सदस्या का प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों से परिचय कराया गया , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत निर्णय लिये गये :–

प्रस्ताव सं0 185:1 प्रबन्ध परिषद की गत 184वीं बैठक दिनांक 07–02–2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

प्रबन्ध परिषद की गत 184वीं बैठक दिनांक 07–02–2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी।

प्रस्ताव सं0185: 2 प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना ।

प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों प्र कृत कार्यवाही से प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्य अवगत हुए ।

प्रस्ताव सं185:3 नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के वित्तीय वर्ष 2018–19 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2019–20 अनुमानित आय व्ययक पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2018–19 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2019–20 अनुमानित आय व्ययक पर सम्यक विचारोपरान्त वित्त उपसमिति द्वारा **परिशिष्ट–क** के अनुसार आय व्ययक के अनुमोदनार्थ सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उपसमिति की संस्तुति के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2018–19 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2019–20 का अनुमानित आय व्ययक **परिशिष्ट–क** के अनुसार अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं185:4 सातवां वेतन आयोग की संस्तुतियेां के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश स0 359/67–कृशिअ–19–1500(16)/09 दिनांक 09 मार्च 2019 के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों/वैज्ञानिकों /समकक्षीय संवर्गो को वेतनमान लागू किये जाने हेतु मान0 प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव ।

वित उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से सातवॉ वेतन आयोग के संबधं मे निर्गत शासनादेश स0 359/67–कृशिअ– 19–1500(16)/09 दिनांक 09 मार्च 2019 के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों/समकक्षीय संवर्गो को वेतनमान का पुनरीक्षण शासनादेशानुसार किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उपसमिति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के शिक्षकों / समकक्षीय संवर्गो को उपरोक्त शासनादेशानुसार सातवॉ वेतनमान का पुनरीक्षण किये जाने का अनुमोदन किया गया ।

प्रस्ताव सं185:5 **मा0 प्रबन्ध परिषद की 184वीं बैठक दिनांक 07—02—2019 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में रिक्त चल रहे "प्लानिंग एण्ड इवैलुएशन एशोसिएट " (कुलपति कार्यालय)वेतनमान पी0बी0 —2 लेबल—10 रू0 56100/— प्रतिमाह (रू0 15600—39100 ग्रेड पे रू0 5400/— अपुनरीक्षित) के पद को "विधि अधिकारी" पदनाम से परिवर्तित किये जाने पर मान0 प्रबन्ध परिषद द्वारा विचार एवं निर्णय।**

वित उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में रिक्त चल रहे "प्लानिंग एण्ड इवैलुएशन एशोसिएट " (कुलपति कार्यालय)वेतनमान पी0बी0 —2 लेबल—10 रू0 56100/— प्रतिमाह (रू0 15600—39100 ग्रेड पे रू0 5400/— अपुनरीक्षित) के पद को "विधि अधिकारी" पदनाम से परिवर्तित किये जाने की संस्तुति इस आशय से प्रदान की गयी कि शासन से पदनाम परिवर्तित किये जाने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उपसमिति की संस्तुति के दृष्टिगत "प्लानिंग एण्ड इवैलुएशन एशोसिएट " (कुलपति कार्यालय) "विधि अधिकारी" पदनाम से परिवर्तित किये जाने का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया कि पद परिवर्तित किये जाने की अनुमति शासन से प्राप्त कर ली जाय ।

प्रस्ताव सं185:6 **राज्य सरकार के वित्त पोषण से जनपद देवरिया में कृषि ज्ञान केन्द्र के कार्यलय हेतु मकान किराया पर लिये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।**

वित उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से जनपद देवरिया में कृषि ज्ञान केन्द्र के कार्यलय हेतु भवन का किराया रू0 3500/—प्रतिमाह एवं बिजली रू0 500/—प्रतिमाह की दर से भुगतान किये जाने की किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी । इसके साथ यह भी संस्तुति की गयी कि कृषि ज्ञान केन्द्र देवरिया का कार्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहॉ पर किसानों के आवागमन में सुगमता हो ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उपसमिति की उपरोक्त संस्तुति के अनुसार कृषि ज्ञान केन्द्र देवरिया के कार्यलय हेतु भवन का किराया रू0 3500/—प्रतिमाह एवं बिजली रू0 500/—प्रतिमाह की दर से भुगतान किये जाने अनुमोदन किया गया।, माननीय सदस्य, प्रबन्ध परिषद द्वारा कृषि ज्ञान केन्द्र देवरिया का कार्यालय भवन अत्यन्त छोटा होने के कारण किसी अन्य स्थान पर स्थापित किये जाने का भी सुझाव दिया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि कृषि ज्ञान केन्द्र का कार्यालय हेतु उचित स्थान देखकर प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

प्रस्ताव सं185:7 **जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के वित्त पोषण से सहभागी परियोजना को विश्वविद्यालय के अन्तर्गत जनपद आजमगढ में संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र ,कोटवा, आजमगढ द्वारा कियान्वित करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।**

वित उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के वित्त पोषण से सहभागी परियोजना को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उपसमिति की उपरोक्त संस्तुति अंनुमोदित की गयी ।

प्रस्ताव सं185:8 **नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय कैम्पस आजमगढ कें संचालन हेतु प्राध्यापक/सह अधिष्ठाता एवं नवसृजित कृषि विज्ञान केन्द्रों के संचालन हेतु सीनियर साइंटिस्ट कम हेड के पदों पर नियुक्ति हेतु किये गये साक्षात्कार पर चयन समिति की संस्तुति के आधार पर परिणाम धोषित किये जाने /लिफाफा खोले जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।**

उक्त प्रस्ताव के संबंध में माननीय कुलपति /अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद द्वार नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) आजमगढ में प्राध्यापक/सह अधिष्ठाता एवं नवसृजित कृषि विज्ञान केन्द्रों के संचालन हेतु सीनियर सांइटिस्ट कम हेड के संबधं में चयन समिति की संस्तुति संबधी बन्द लिफाफे प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के समक्ष कृषि महाविद्याल्य कैम्पस आजमगढ के सह अधिष्ठाता –01 पद तथा नवसृजित कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु सीनियर सांइटिस्ट कम हेड–06 पद के , एक–एक कर खोले गये व चयनसमिति की संस्तुति के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के संबधं में विस्तृत जानकारी दी गयी।

चयन समिति की संस्तुति को प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से चयनित अभ्यर्थियों के नामों को नियुक्ति के लिए अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं185:9 **उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या में प्रबन्ध परिषद द्वारा पूर्व अनुमोदित एम0एस0सी0(एग्रोफारेस्ट्री) के स्थान पर एम0एस0सी0(फारेस्ट्री) विषय तथा पी0एच0डी0 एग्रोफारेस्ट्री के स्थान पर पी0एच0डी0 (एग्रोफारेस्ट्री) विषय नामकरण को संशोधित करने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।**

प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय ,कुमारगंज , अयोध्या में एम0एस0सी0(एग्रो फारेस्ट्री) के स्थान पर एम0एस0सी0(फारेस्ट्री) विषय तथा पी0एच0डी0 एग्रोफारेस्ट्री के स्थान पर पी0एच0डी0 (फारेस्ट्री) विषय नामकरण को संशोधित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

प्रस्ताव सं185:10 **विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता , परास्नातक स्टडीज (Dean,Post Graduate Studies) पद के सृजन किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में सृजित प्राध्यापक पद को अधिष्ठाता , परास्नातक स्टडीज (Dean,Post Graduate Studies) पदनाम से किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा कोई अन्य पद सृजित न किया जाय।

प्रस्ताव सं185:11 डा0 सुनील कुमार , सह प्राध्यापक , साख्यिकी विभाग को सेवानिवृत्त के उपरान्त नियमानुसार सेवानिवृत्त गेस्ट फैकल्टी को दिये जाने वाले भुगतान की दर से नियोजित करने का प्रस्ताव माननीय प्रबन्ध परिषद के समक्ष विचार एवं निर्णय हेतु ।

वित उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से डा0 सुनील कुमार , सह प्राध्यापक , साख्यिकी विभाग को सेवानिवृत्त के उपरान्त नियमानुसार गेस्ट फैकल्टी को दिये जाने वाले भुगतान की दर से नियोजित करने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं185:12 वित्त नियंत्रक कार्यालय में रिक्त सहायक वित नियंत्रक, लेखाधिकारी , सहायक लेखाधिकारी एवं सम्परीक्षा अधिकारी के पदों को भरे जाने अथवा अग्रिम व्यवस्था तक श्री रमेश चन्द्र कटियार ,सहायक लेखाधिकारी की पुर्ननियुक्ति किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित उपसमिति द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुर्ननियुक्ति तथा सेवाविस्तार को शासन द्वारा प्रतिबन्धित किये जाने के आलोक मे सहायक लेखाधिकारी पद को पदोन्नति के माध्यम से भरने अथवा विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबन्धन के कार्य को सर्वोपरि रखते हुए आवश्यकतानुसार सेवा प्रदाता (Outsourcing) के माध्यम से या उचित मानदेय पर विश्वविद्यालय का कार्य कराने एवं भुगतान करने की संस्तुति सर्वसम्मति से प्रदान की गयी । उक्त भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा अपने निजी श्रोतो से प्राप्त आय से किये जाने की भी संस्तुति की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं015:13 कुलपति के निजी सचिव श्री मो0 नईम के दिनांक 28–2–2019 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त कुलपति के सचिव के प्रस्ताव दिनांक 21–6–2019 के अनुक्रम में प्रशासनिक आदेश सं0 एनडीयूएटी–7/स्था–6/मानदेय /2019/79 दिनांक 09–04–2019 द्वारा कुलपति कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्यो के सम्पादन हेतु श्री नईम को रू0 35000/– प्रतिमाह पर मानदेय कर्मी के रूप में छः माह के लिए कार्य पर लगाया गया है ।श्री नईम को कार्य पर रखे जाने की कार्योत्तर स्वीकृति एवं आगे भी छः माह हेतु इसी निर्धारित मानदेय एवं शर्तो के अधीन कार्य पर लगाये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति सें कुलपति के निजी सचिव श्री मो0 न्ईम को रू0 35000/– प्रतिमाह पर प्रशासनिक आदेश सं0 एनडीयूएटी–7/स्था–6/मानदेय /2019/79 दिनांक 09–04–2019 दिनांक 9–4–2019 के कम में कार्य पर लगाये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति एवं आगे भी छः माह इसी निर्धारित मानदेय एवं शर्तो के अधीन कार्य पर लगाये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

अन्य निर्णयः

1– **माननीय कुलपति/अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद ने माननीय सदस्यों की अनुमति से कृषि विज्ञान केन्द्र मसोधा के असेस्मेन्ट संबंधी लिफाफों को खोले जाने के संबध में**

माननीय कुलपति/अध्यक्ष द्वारा कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत आयोजित साक्षात्कार में सम्मिलित हुये कृषि विज्ञान केन्द्र मसोधा के शिक्षकों/वैज्ञानिकों के परिणामों से संबंधित लिफाफों को खोलकर प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों को अवगत कराया जिस पर माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से अपना अनुमोदन प्रदान किया। कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत अनुमोदित/निरस्त किये गये शिक्षकों/ वैज्ञानिकों का विवरण निम्नवत हैः–

1– डा0 अर्चना सिंह – अनुमोदित
गृह विज्ञान
2– डा0अजीत सिंह वत्स– निरस्त
प्लान्ट प्रोटेक्शन

2– प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालय में संचालित कोर्सो में प्रवेश के इच्छुक ऐसे अभ्यर्थियों जिनका प्रवेश मेरिट से नही हो पाया है ,के संबंध में यह जानकारी चाही कि प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों को क्या ऐसा कोई अधिकार विश्वविद्यालय में प्रदत्त है कि उनके अनुमोदन पर विश्वविद्यालय मे संचालित कोर्सो में प्रवेश लिया जा सकता है । उक्त के संबधं में उन्हे अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में वर्तमान में कोई ऐसी व्यवस्था नही है । आगामी यू0पी0कैटेट 2020 हेतु स्टीयरिंग कमेटी(Steering Commmittee) में प्रस्ताव भेजा जायेगा ।

3– प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालय में वर्तमान में रखे गये नये सुरक्षागार्डो एवं पूर्व में रखे गये सुरक्षागार्डो को किये गये भुगतान संबंधी पूर्ण विवरण की सूचना प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया जिस पर अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद द्वारा माननीय सदस्यों को आश्वस्त करते हुए यह अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की सुरक्षा के दृष्टिगत कोई समझौता नही किया जायेगा ।

4– श्रीं बाबा गोरखनाथ ,मान0सदस्य प्रबन्ध परिषद ने श्री अनिल कुमार यादव , कार्यालय अधीक्षक कम लेखाकार की नियुक्ति संबंधी पत्रावली की जॉच किये जाने हेतु अनुरोध किया गया जिसके क्रम में उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यदि श्री यादव के विरूद्व कोई शिकायती पत्र इस सबंध में प्राप्त होता है तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

5– प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा कडकनाथ मुर्गा की अत्यधिक मॉग के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में उत्पादन किये जाने तथा गन्नें पर शोध का कार्य किये जाने का सुझाव दिया गया ।

6– प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा सिद्वार्थनगर में केले के फल को अधिक दिनों तक संरक्षित किये जाने हेतु प्रसंस्करण (Processing) का प्रशिक्षण कराये जाने का अनुरोध किया गया ।

7– मान0उच्च न्यायालय द्वारा सीनियर रिसर्च एशोसिएट तथा अन्य को यू0जी0सी0वेतनमान का लाभ दिनांक 13–3–1992 से दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव पुनः विचारार्थ प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

2/7/19
(जीत सिंह सन्धू)
कुलपति/अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या ।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/प्र0परि0–185वी बैठक/लेखा/2019/481 दिनांक 02-07–2019

प्रतिलिपि –माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज ,अयोध्या

आय–व्ययक पुनरीक्षित व्यय वर्ष वर्ष 2018–19 एवं अनुमान वर्ष 2019–20 (धनराशि लाख में)

कमांक	मुख्य लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित व्यय वर्ष 2018–19	प्रस्तावित अनुमान वर्ष 2019–20
1	2	3	4
1	**राज्य सरकार राजस्व**		
क	कृषि विश्वविद्यालय	5328.36	8046.02
ख	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	995.40	1964.18
ग	महामाया कृषि अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर,	184.30	339.26
घ	कृषि महाविद्यालय कैम्पस आजमगढ	58.50	414.03
छ	प्रसार योजनाओं का सुदृढीकरण(कृषि ज्ञान केन्द्रो हेतु)	1.99	2.00
ज	आडिट फीस	50.00	–
झ	तकनीकी प्रशिक्षण	–	10.00
ट	नये प्रवेशकों पर नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	–	413.60
ठ	विभिन्न महाविद्यालयो के प्रयोगशालाओं , छात्रावासो , प्रक्षेत्रों , अनुपयुक्त भूमि का अनुरक्षण/ सुदृढीकरण , छात्रों द्वारा शोध कार्य एवं वर्षा जल संचयन हेतु	60.51	300.00
	योग (राज्य सरकार राजस्व)	**6679.06**	**11489.09**
2	**राज्य सरकार राजस्व/पूँजीगत**		
	राजस्व		
क	भारतीय कृषि अनु0 परि0 के सहयोग से संचालित परियोजनाओ हेतु 75:25प्रतिशत परियोजनाओ हेतु 25 प्रतिशत राज्यांश	277.09	427.11
ख	विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्य	1015.10	792.42
ग	रावे पर व्यय(25 प्रतिशत)	–	2.00
घ	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय में वी0वी0एस0सी0एण्ड ए0एच0 पाठ्यकम के अन्तिम वर्ष के छात्रों हेतु इन्टर्नशिप कार्यकम हेतु राज्यांश	–	1.50

च	कृषि विश्वविद्यालय में सेन्टर आफ एक्सीलेन्स (धान पर अनुसंधान हेतु)	31.24	100.00
	पूँजीगत / राजस्व		
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1773.66	1393.74
	योग (राज्य सरकार राजस्व/पूँजीगत)	**3097.09**	**2716.77**
3	**भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित योजनाएं**		
क	शत प्रतिशत वित्त पोषित कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु	2445.03	3071.04
ख	शत प्रतिशत वित्त पोषित शोध योजनाओं हेतु	156.08	200.00
ग	केन्द्रीय सहायता एन0टी0एस0	—	500.00
घ	रादे पर व्यय (75 प्रतिशत)	—	20.00
च	पुस्तकालय का सुदृढीकरण	—	100.00
छ	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा 75:25 प्रतिशत के अन्तर्गत संचालित योजनाओं हेतु (75 प्रतिशत धनराशि)	831.27	1281.33
ज	शिक्षकों के यू0जी0सी0एरियर के भुगतान हेतु	7.18	1016.19
	योग	**3439.56**	**6188.56**
4	अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनायें	103.34	179.12
	योग	**103.34**	**179.12**
5	चकीय निधि	412.54	1131.70
	योग	**412.54**	**1131.70**
	सम्पूर्ण योग (1 से 5तक)	**13731.59**	**21705.24**

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज,अयोध्या के प्रबन्ध परिषद की 186वीं विशेष बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 30–07–2019

स्थान : सभाकक्ष
उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद,
किसान मण्डी भवन, अष्टमतल,
गोमतीनगर , लखनऊ ।

समय : अपरान्ह 12.30 बजे ।

उपस्थिति :

1– प्रो0 जीत सिंह सन्धू , कुलपति – अध्यक्ष

2– श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, माननीय सदस्य विधान परिषद – सदस्य

3– डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी , माननीय सदस्य विधान सभा – सदस्य

4– श्री बाबा गोरखनाथ , माननीय सदस्य विधान सभा – सदस्य

5– श्री, मासूम अली सरवर , विशेष सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग ,प्रतिनिधि प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0शासन । – सदस्य

6– श्री नीरज श्रीवास्तव, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन अयोध्या मण्डल ,अयोध्या प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त विभाग उ0प्र0शासन – सदस्य

7– डा0 सोराज सिंह, निदेशक कृषि उ0प्र0 – सदस्य

8– डा0 अविनाश चन्द्र सचान , संयुक्त निदेशक नियोजन प्रतिनिधि, निदेशक पशुपालन उ0प्र0 – सदस्य

9–डा0 ए0डी0पाठक, निदेशक ,आई0आई0एस0आर0 ,प्रतिनिधि आई0सी0ए0आर0 – सदस्य

10– श्री छेदी सिंह , प्रगतिशील कृषक – सदस्य

11– श्री शिवजीत यादव पशु प्रजनक , – सदस्य

12– श्रीमती सुचिता तिवारी, प्रख्यात उद्योगपति –सदस्या

13– श्रीमती मुन्नी शर्मा, महिला सामाजिक कार्यकर्त्री – सदस्या

14– श्री लाल प्रताप सिंह , वित्त नियंत्रक – सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक में प्रथम बार भाग लेने वाले श्री मासूम अली सरवर, विशेष सचिव कृषि शिक्षा एव अनुसंधान विभाग प्रतिनिधि प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0शासन का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हुए प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों से परिचय कराया गया । माननीय कुलपति /अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद द्वारा श्री बी0राम शास्त्री पूर्व विशेष सचिव कृषि शिक्षा एव अनुसंधान विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को दिये गये सहयोग एवं सुझाव की सराहना करते हुए भूरि–भूरि प्रशंसा की गयी , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत निर्णय लिये गये :–

प्रस्ताव सं0186: 1 **विश्वविद्यालय का 21वॉ दीक्षान्त समारोह माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से दिनांक 04–09–2019 को नियत है। उक्त दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप शिक्षा, शोध ,प्रसार प्रबन्धन एवं नीति नियोजन के क्षेत्र में अति विशिष्ठ एवं अविस्मरणीय योगदान देने वाली किसी विशिष्ठ व्यक्ति को डाक्टर आफ साइन्स की मानद उपाधि प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

प्रबन्ध परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कृषि , शिक्षा , शोध, प्रसार ,प्रबन्धन एवं नीति नियोजन के क्षेत्र में अति विशिष्ठ एवं अविस्मरणीय योगदान के लिए डा0 आर0 एस0 परौदा (Dr.R.S. Paroda) , चेयरमैन ,टस्ट फार एडवान्समेंन्ट आफ एग्रीकल्चर साइंसेस (TAAS) ,एवं पूर्व महानिदेशक ,भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं पूर्व सचिव डी0ए0आर0ई0 ,भारत सरकार को डाक्टर आफ साइन्स (Doctor of Science) की मानद उपाधि से विभूषित किये जाने विषयक प्रस्ताव सर्वसन्मति से अनुमोदित किया गया ।

<u>अन्य निर्णय:–</u>

1– माननीय अध्यक्ष/कुलपति महोदय ने प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली (NAHEP) द्वारा विश्वविद्यालय को Strengthening and modernization of Narendra Deva University of Agrilculture and Technology ,Kumarganj, Ayodhya to make the university ready for Accreditation योजना के अन्तर्गत रू0 499.735 लाख का अनुदान वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2C22–23 के लिए प्राप्त हुआ है जिससे विश्वविद्यालय के सुदृढीकरण का कार्य कराया जायेगा । प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा माननीय कुलपति जी के प्रयास की सराहना की गयी ।

2– माननीय अध्यक्ष/कुलपति महोदय ने विशेष सचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को अवगत कराया कि कृषि विश्वविद्यालय के अधीन संचालित चार महाविद्यालयों के प्रासंगिक व्ययों के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2002 से मात्र रू0 50.00 लाख का अनुदान प्राप्त हो रहा है जो बहुत ही कम है जिसमें वृद्दि किया जाना आवश्यक है ।

3– श्रीमती मुन्नी शर्मा , माननीय सदस्या प्रबन्ध परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि कृषि ज्ञान केन्द्र देवरिया के कार्यालय भवन हेतु उपलब्ध 2–3 मकानो में से किसी एक का चयन किया जा सकता हैं । माननीय अध्यक्ष/कुलपति महोदय द्वारा अपेक्षा की गयी कि कृषि ज्ञान केन्द्रों के संचालन हेतु शासन से बहुत ही कम अनुदान प्राप्त होता है , को संज्ञान में लेते हुये उक्त भवनों से संबंधित विवरण व शर्ते विश्वविद्यालय को प्रेषित की जाए ।

4– प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय परिसर में रिक्त आवासों को आवंटित किये जाने की कार्यवाही किया जाना श्रेयस्कर होगा ।

5– प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्य श्री छेदी सिंह जी ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित महाविद्यालयों तथा मुख्यालय से बाहर स्थित केन्द्रों मे शुद्व पेयजल हेतु एक–एक इन्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प एवं सुलभ शौचालय की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है जिससे विश्वविद्यालय कार्मिकों एवं बाहर से आने वाले किसानों को असुबिधा न हो ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

(जीत सिंह सन्धू) 31/7/19
कुलपति/अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या ।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/प्र0परि0–186वी विशेष बैठक/लेखा/2019/663 दिनांक 31–7–2019

प्रतिलिपि –माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद